सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 23, सोमवार, *शाके* 1945-अगस्त 14, 2023 *Sravana 23, Monday , Saka 1945- August 14, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 11, 2023

जी.एस.आर.68 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978 से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''अनुसूची

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	अपर निदेशक अभियोजन	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	संयुक्त निदेशक अभियोजन	राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा में सम्मिलित पदों सहित कुल मिलाकर 28 वर्ष का अनुभव	-
2.	संयुक्त निदेशक	100 प्रतिशत पदोन्नति	-	उप निदेशक अभियोजन	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव	-

	अभियोजन	द्वारा				
3.	उप निदेशक अभियोजन	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	सहायक निदेशक अभियोजन	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 4 वर्ष का अनुभव	-
4.	सहायक निदेशक अभियोजन	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	अभियोजन अधिकारी	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-
5.	अभियोजन अधिकारी	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	राजस्थान अधीनस्थ अभियोजन सेवा नियम, 1978 के अधीन नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-

"

टिप्पण:

1. सहायक निदेशक अभियोजन, उप निदेशक अभियोजन, संयुक्त निदेशक अभियोजन और अपर निदेशक अभियोजन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 के प्रयोजन के लिए अभियोजक होंगे।
2. अभियोजन अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 25 के प्रयोजन के लिए सहायक लोक अभियोजक होगा।

[सं. एफ 1(4)डीओपी/ए-।।/93]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
डॉ0 शिव प्रसाद सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, August 11, 2023

G.S.R.68 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Prosecution Service Rules, 1978, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Rajasthan Prosecution Service (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Schedule.- The existing Schedule appended to the Rajasthan Prosecution Service Rules, 1978 shall be substituted by the following, namely:-

"SCHEDULE

S.No	Name of the post	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Additional Director Prosecution	100% by promotion	-	Joint Director Prosecution	28 years' experience in all on the posts included in the Rajasthan Prosecution Subordinate Service.	-
2.	Joint Director Prosecution	100% by promotion	-	Deputy Director Prosecution	3 years' experience on the post mentioned in column 5	-
3.	Deputy Director Prosecution	100% by promotion	-	Assistant Director Prosecution	4 years' experience on the post mentioned in column 5	-
4.	Assistant Director Prosecution	100% by promotion	-	Prosecution Officer	5 years' experience on the post mentioned in column 5	-
5.	Prosecution Officer	100% by promotion	-	Assistant Prosecution Officer	5 years' experience on the post	-

				appointed under the Rajasthan Subordinate Prosecution Service Rules, 1978	mentioned in column 5	

Note:-

1. The Assistant Director Prosecution, Deputy Director Prosecution, Joint Director Prosecution and Additional Director Prosecution shall be Prosecutors for the purpose of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
2. The Prosecution Officer shall be an Assistant Public Prosecutor for the purpose of section 25 of the Code of Criminal Procedure, 1973."

[No. F.1(4)DOP/A-II/93]

By order and in the name of the Governor,
DR. SHIV PRASAD SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.